

2193
1/1/18

पुष्पा
1/1/18

मध्य प्रदेश शासन
तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार विभाग
संचालय

:: आदेश ::

भोपाल, दिनांक 06 अक्टूबर, 2018

क्रमांक एफ-1/30/2018/42-1, राज्य शासन एतद्वारा प्रदेश के शासकीय स्वशासी इंजीनियरिंग महाविद्यालयों एवं शासकीय स्वशासी/महिला पौलीटेकनिक महाविद्यालयों के अतिथि व्याख्याताओं को रुपये 275/- प्रति कालखण्ड के स्थान पर रुपये 400/-प्रति कालखण्ड की स्वीकृति प्रदान की जाती है। शेष शर्तें यथावत रहेगी। यह स्वीकृति वित्त विभाग की तीस क्रमांक यू.ओ.न. 725/आम-958/बी-3/चार/2018 दिनांक 06.10.2018 के अनुक्रम में दी जा रही है।

मध्य प्रदेश के राज्यपाल को तब से तथा आदेशानुसार

(आर.के.जैन)

अपर सचिव

मध्य प्रदेश शासन

तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार विभाग

प्रतिवेदि :- विभागीय कार्यालय की ओर सूचनाएं एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1. मुख्य सचिव, मध्य प्रदेश
- 2. सचिव, मध्य प्रदेश शासकीय स्वशासी इंजीनियरिंग महाविद्यालयों के अतिथि व्याख्याताओं के प्रति
- 3. सचिव, मध्य प्रदेश शासकीय स्वशासी/महिला पौलीटेकनिक महाविद्यालयों के अतिथि व्याख्याताओं के प्रति
- 4. सचिव, मध्य प्रदेश शासकीय स्वशासी/महिला पौलीटेकनिक महाविद्यालयों के अतिथि व्याख्याताओं के प्रति
- 5. सचिव, मध्य प्रदेश शासकीय स्वशासी/महिला पौलीटेकनिक महाविद्यालयों के अतिथि व्याख्याताओं के प्रति
- 6. सचिव, मध्य प्रदेश शासकीय स्वशासी/महिला पौलीटेकनिक महाविद्यालयों के अतिथि व्याख्याताओं के प्रति
- 7. सचिव, मध्य प्रदेश शासकीय स्वशासी/महिला पौलीटेकनिक महाविद्यालयों के अतिथि व्याख्याताओं के प्रति

अपर सचिव

मध्य प्रदेश शासन

तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार विभाग

तकनीकी शिक्षा संचालनालय, मध्यप्रदेश
सतपुड़ा भवन, भोपाल-462004

पृ.कमांक/यो/05/डी/2018/1707 /भोपाल, दिनांक.२९.९./10/2018

प्रतिलिपि :- निम्नांकितों की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जाती है:-

1. प्राचार्य, शासकीय/स्वशासी/अनुदान प्राप्त पोलिटेकनिक महाविद्यालय, मध्यप्रदेश।
2. प्राचार्य, शासकीय/स्वशासी महिला पोलिटेकनिक महाविद्यालय, मध्यप्रदेश।
3. प्राचार्य, स्वशासी/अनुदान प्राप्त इंजीनियरिंग महाविद्यालय, मध्यप्रदेश।
4. उपविभाग-2, तकनीकी शिक्षा संचालनालय, मध्यप्रदेश, भोपाल।

संचालक, तकनीकी शिक्षा
मध्यप्रदेश

